समय–बद्ध/
तत्काल
प्रेषक क्रमांक 9/17/1996

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

1. सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार।
2. सभी विभागाध्यक्ष।
3. सभी मण्डल आयुक्त एवं जिला उपायुक्त।
4. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा, उच्च न्यायालय तथा सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश।
5. राज्य के सभी बोर्ड एवं कारपोरेशन।

दिनांक, चण्डीगढ़: 12.2.2021

विषयः– **राज्य चौकसी ब्यूरो के अन्वेषण अधिकारियों को उन द्वारा की जाने वाली जांचों में प्रलेखों (रिकार्ड)/सूचना उपलब्ध करवाने तथा पूर्ण सहायता/सहयोग देने बारे।**

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर चौकसी विभाग के पत्र 9/17/96–1चौ–।। दिनांक 16.10.96 व समसंख्यक स्मरण पत्र दिनांक 11.07.2003 के सन्दर्भ में।

इस विभाग के यह ध्यान में लाया गया है कि चौकसी जांच के सम्बन्ध में जांच अधिकारियों को प्रलेख (रिकार्ड)/सूचना प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित विभागों को बार–बार स्मरण करवाने पर वांछित प्रलेख (रिकार्ड)/सूचना समय पर उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है जिस कारण चौकसी जांच को समय पर पूर्ण करने में काफी देरी होती है तथा अनावश्यक कठिनाई का सामना करना पडता है। सरकार ने इसे गम्भीरता से लिया है।

इसलिए मुझे इस विभाग के पत्र दिनांक 16 अक्तूबर, 1996 तथा समसंख्यक स्मरण पत्र दिनांक 11 जुलाई 2003 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने तथा यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त हिदायतों के अनुसार जिन जांचों में राज्य चौकसी ब्यूरों के अन्वेषण अधिकारियों द्वारा जिन सम्बन्धित विभागों से प्रलेख (रिकार्ड)/सूचना मांगी जाये वह उन्हें तुरन्त उपलब्ध करवाई जाये तथा यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि जांचों से सम्बन्धित प्रलेखों (रिकार्ड)/सूचना को उपलब्ध करवाने हेतु सभी विभाग परम अग्रतापूर्वक पूर्ण सहायता/सहयोग प्रदान करें।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि उक्त हिदायतों की दृढता से पालना की जाये ताकि भविष्य में जांचों को पूरा करने में अनावश्यक देरी न हो।

भवदीय

उप सचिव/चौकसी,
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

Scanned with CamScanner